

उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढाँचे का विश्लेषण**Kavita**

Assistant Prof.

Department of Geography

Vivekananda P.G. College Bhadra

Rajasthan

सार—

किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में वहाँ के वित्तीय आधारभूत ढाँचागत व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है, यह व्यवस्था जितनी उदार व पारदर्शी होगी औद्योगिक प्रकरणों का विकास उतनी ही तेजी से बढ़ता है। लेकिन इस विकास की गति को मापने के लिये आवश्यक हो जाता है कि यह व्यवस्था सूक्ष्म स्तर पर कितनी लाभप्रद रही है,

वित्तीय व्यवस्था एवं औद्योगिक विकास

उद्योग चाहे छोटा हो या बड़ा, वित्त के अभाव में किसी प्रकार के उद्योग का संचालन सम्भव नहीं है। सभी उद्यमी इस स्थिति में भी नहीं होते कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में विनियोजित होने वाली सम्पूर्ण धनराशि की व्यवस्था स्वयं के साधनों से कर सकें। सामान्यतः उद्यमी अपने स्वयं के साधनों से परियोजना लागत का एक चौथाई हिस्सा तक विनियोजित कर पाते हैं। शेष धनराशि के लिए वे किसी न किसी रूप में अन्य वित्तीय साधनों पर निर्भर करते हैं। उद्योग विभाग चूंकि हर प्रकार से उद्योग स्थापना में आने वाली कठिनाइयों के समय उद्यमी को सहायता करता है अतः इस मद में भी सहयोग देना अनिवार्य हो जाता है।

सारणी 1**मेरठ जनपद में वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं का अन्य जनपदों के साथ तुलनात्मक अध्ययन का विवरण**

जनपद	विकास खण्डों की संख्या	राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या	शाखाएं	अन्य बैंकों की संख्या	शाखाएं
मेरठ	16	22	259	15	166
गाजियाबाद	15	8	42	3	111
बागपत	5	8	33	6	112
बुलन्दशहर	18	4	34	7	28
गौतमबुद्धनगर	5	7	22	6	33
योग	59	49	390	37	450

सारणी 1 से स्पष्ट है कि जनपद की औद्योगिक इकाइयों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थानों की संख्या सार्वजनिक क्षेत्र में इतनी तेजी से नहीं बढ़ पायी है जबकि निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के प्रवेश के बाद भी वित्तीय सहायता उद्योगों के विकास में अधिक सहायक नहीं हो रही है, क्योंकि उनके लिए कागजी कार्यवाही पूरी करना ही स्वयं में टेढ़ी खीर ह। गौतमबुद्धनगर व जिला बागपत के अलग हो जाने से बैंकिंग क्षेत्र में तेजी विस्तार करना शुरू कर दिया है, साथ ही इन सुविधाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र की अन्य कम्पनियों ने गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है, जो आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इन बैंक शाखाओं के अतिरिक्त मेरठ, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के क्षेत्रीय कार्यालय भी कार्यरत हैं जो जनपद की औद्योगिक इकाइयों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हैं।

विभागीय ऋण व्यवस्था

जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना से पूर्व उद्योग विभाग द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए लगभग सम्पूर्ण ऋण की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन औद्योगिक विकास के साथ उद्योग विभाग के लिए इस धनराशि की व्यवस्था करना कठिन हो गया है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा औद्योगिक इकाइयों की ऋण व्यवस्था में रूचि लेने के कारण और साथ ही वित्तीय निगमों की स्थापना के कारण विभागीय ऋणों की आवश्यकता भी नहीं रह गई। अब उद्योग विभाग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से दो प्रकार के ऋण दिये जाते हैं।

जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण

बैंकिंग व्यवसाय के विस्तार के साथ ही अब अधिकांश औद्योगिक इकाइयों को बैंकों या वित्तीय निगमों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। लेकिन इन संस्थाओं द्वारा उद्यमी को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है। वित्तीय संस्थाएँ सामान्यतः कुल परियोजना लागत का 60 से 70 प्रतिशत तक ही वित्तीय सहायता देती है। शेष 30 से 40 प्रतिशत तक का हिस्सा उद्यमी को स्वयं के साधनों से ही विनियोजित करना होता है। इस शेष धनराशि को मार्जिन मनी के नाम से जाना जाता है। कुछ साहसी उद्यमी इस प्रकार के भी होते हैं जो अपना हिस्सा भी स्वयं के साधनों से विनियोजित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के उद्यमियों की सहायता के लिए ही जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण का उद्देश्य है कि उद्यमी की हर प्रकार से वित्तीय सहायता करनी है।

प्रक्रिया

जब वित्तीय संस्था द्वारा औद्योगिक इकाई के पक्ष में ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है और उद्यमी से वित्तीय संस्था द्वारा मार्जिन मनी की मांग की जाती है। यदि उद्यमी इस धनराशि की व्यवस्था नहीं कर पाता है तब निर्धारित आवेदन पत्र पर मार्जिन मनी ऋण की जिला उद्योग केन्द्र से मांग करता है। आवेदित ऋण की जांच के बाद परियोजना लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत या रु0 40,000 तक, अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 30 प्रतिशत या रु0 60,000 तक की मार्जिन मनी ऋण की स्वीकृति महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा ही दे दी जाती है।

मार्जिन मनी ऋण में ब्याज की दर बाजार दर से कम होती है तथा मूलधन की वापसी वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये ऋण की वापसी के बाद प्रारम्भ होती है, यह अवधि सामान्यतः सात वर्ष होती है।

सारणी 2

मेरठ जनपद में ऋण वितरण की अन्य जनपदों के साथ तुलनात्मक अध्ययन का विवरण

जनपद	अब तक कुल स्थापित लघु उद्योग	मार्जिन मनी ऋण प्राप्त उद्योग	सुविधा प्रतिशत
मेरठ	4217	32	0.70
बागपत	1122	21	1.80
गाजियाबाद	2021	27	1.16
बुलन्दशहर	1501	19	1.50
गौतमबुद्ध नगर	1083	17	1.16

प्रशासनिक ढाँचागत विकास

मेरठ जनपद में प्रशासनिक नियन्त्रण एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पाँचों जनपदों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला नियोजन एवं क्रियान्वयन समितियों का गठन किया गया है तथा जिला योजना की संरचना के लिए अध्यक्ष जिला परिषद् की अध्यक्षता में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। पाँचों जनपदों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासी निकाय के उपाध्यक्ष होते हैं। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासी निकाय में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं जनपदों के माननीय सांसद व विधायक सदस्य होते हैं। जिलाधिकारी 'जिला ग्राम्य विकास अभिकरण' के अध्यक्ष होते हैं। विभिन्न विकास एवं रोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा किया जा रहा है।

जिला उद्योग केन्द्रों की भूमिका

इस अध्याय में औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्तीय व्यवस्था के लिए मुख्यतः जिन तीन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। उनके सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्रों की कोई स्पष्ट भूमिका नजर नहीं आती है अर्थात् यह कहा जा सकता है कि इकाइयों के लिए वित्तीय व्यवस्था के जिला उद्योग केन्द्रों का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है जबकि जिला उद्योग केन्द्रों को इकाइयों की प्रत्येक प्रकार की सहायता का दायित्व सौंपा गया है। इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि जिला उद्योग केन्द्रों के पास औद्योगिक इकाइयों को ऋण और एकीकृत मार्जिन मनी ऋण का उपयोग तभी सम्भव है जबकि पहले वित्तीय संस्थाएँ इकाई के पक्ष में ऋण स्वीकृत करें। यदि वित्तीय संस्थाएँ ऋण की स्वीकृति नहीं करती हैं, तब इस मार्जिन मनी ऋण का कोई उपयोग सम्भव नहीं है और जिला उद्योग केन्द्र असहाय स्थिति में होते हैं।

जहाँ तक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा ऋण व्यवस्था में जिला उद्योग केन्द्रों की भूमिका का प्रश्न है, इस केन्द्र की भूमिका लगभग नगण्य है, कम्पोजिट ऋणों की संस्तुति के अतिरिक्त जिला उद्योग केन्द्र किसी भी स्तर पर सम्बन्धित नहीं हैं। जिला उद्योग केन्द्रों से कोई राय या जानकारी नहीं ली जाती है क्योंकि वित्तीय निगम द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। यहाँ तक कि निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयों और जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारियों की जनपद स्तर पर औद्योगिक समस्याओं पर कोई बैठक तक नहीं होती है और जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अन्य बैठकों में भी निगम के अधिकारी भाग नहीं लेते हैं। स्पष्ट है कि वित्तीय निगम द्वारा वित्तीय व्यवस्था में जिला उद्योग केन्द्रों की भूमिका नगण्य है।

बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में जहाँ तक जिला उद्योग केन्द्रों का प्रश्न है यह भूमिका अत्यन्त उपयोगी हो सकती है यदि बैंक शाखाओं द्वारा सहयोग दिया जाए। सामान्यतः प्रक्रिया एवं व्यवहार में यह देखने में आया है कि जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर बैंक अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही न करके अनावश्यक आपत्तियाँ लगाई जाती हैं।

मेरठ जनपद के जनपद बुलन्दशहर में तो अनेक मामले ऐसे देखे गये हैं कि जो मामले जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अग्रसारित किये जाते हैं उनमें बैंकों द्वारा बड़ी कठिनाई के साथ 10 से 20 प्रतिशत मामलों में कोई कार्यवाही की जाती है लेकिन जिन मामलों में बैंक शाखाओं की रुचि होती है उन मामलों में बैंक द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों से अपने स्तर से ही तकनीकी रिपोर्ट मांग ली जाती है और ऋण सुविधा तुरन्त उपलब्ध करा दी जाती है।

ऋण व्यवस्था के सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थिति असहाय है। क्योंकि बैंकों द्वारा इकाइयों के पक्ष में ऋण स्वीकृति या वितरण की कार्यवाही नहीं की जाती है तो जिला उद्योग केन्द्र के पास कार्य निष्पादित कराने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि बैंक शाखाओं द्वारा ऋण स्वीकृति या यही कारण है कि बैंक ऋणों के सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्रों में कोई ऋण रजिस्टर आदि उपलब्ध नहीं है। जिला उद्योग केन्द्र यह तो बता सकते हैं कि उनके द्वारा कितने आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गये हैं इसकी सूचना जिला उद्योग केन्द्रों के पास नहीं है केवल सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति की रिपोर्ट ही बैंकों द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों को भेजी जाती है। सामान्य इकाइयों की ऋण व्यवस्था की नहीं।

इस ऋण व्यवस्था के सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्रों की स्वतः की स्थिति भी बड़ी हास्यास्पद है। बैंकों को भेजी जाने वाली तकनीकी रिपोर्टों में अत्यन्त ही साधारण सूचनाएँ दी जाती हैं जैसे प्रतियोगिता के सम्बन्ध में लिखा जाता है कि "कोई प्रतियोगी नहीं" जबकि उसी उत्पाद की अनेक इकाइयाँ निकटतम स्थानों में ही स्थापित रहती हैं। इकाई के भविष्य के सम्बन्ध में हमेशा लिखा जाता है कि 'भविष्य अच्छा'। बाजार के सम्बन्ध में लिखा जाता है कि 'स्थानीय बाजार उपलब्ध है'। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी सूचना तथ्यों पर आधारित नहीं होती है। परियोजना का मूल्यांकन करते समय सम विच्छेद बिन्दु या किसी प्रकार के अनुपातों तक की गणना नहीं की जाती है। यही कारण है कि बैंक शाखाओं द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों पर अधूरे मन से कार्यवाही की जाती है।

जिला उद्योग केन्द्रों में भी इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए प्रबन्धक ऋण के पद की व्यवस्था है लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिला उद्योग केन्द्रों में यह वर्षों से रिक्त है।

तकनीकी एवं अन्य सुविधाएं

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के संचालन के साथ ही उद्यमियों को तकनीकी एवं अन्य कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं। जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित हैं:-

परामर्श सुविधा

उद्योग स्थापना के लिए प्रत्येक कदम पर विभिन्न प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है जिनके अभाव में उद्यमी हतोत्साहित होता है। अतः जिला उद्योग केन्द्रों को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे उद्यमी को उसके हर कदम पर आवश्यकतानुसार उचित सलाह दे। अभी हाल में ही उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में परामर्श कक्ष स्थापित किया गया है। इस परामर्श कक्ष को एक कार्यकारी प्रबन्धक (सामान्यतः प्रबन्धक तकनीकी) के अधीन रखा गया है और इस परामर्श कक्ष में कुछ कर्मचारी भी नियुक्त किये गये हैं। इस कक्ष का उद्देश्य यह है कि यदि कोई उद्यमी या नव साहसी उद्यमी उद्योग स्थापना के सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहता है तो उसे पूर्ण सन्तुष्टि के बाद ही जिला उद्योग केन्द्र से वापस भेजा जाए। इसके लिए परामर्श कक्ष में उद्यमियों के बैठने की व्यवस्था से लेकर विभिन्न प्रकार के साहित्य और नयी सूचनाओं से सजान का निर्देश दिया गया है। इस कक्ष में जिला उद्योग केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी, विभिन्न प्रकार के आवेदन एवं प्रपत्र आदि निःशुल्क उपलब्ध होते हैं।

इस परामर्श कक्ष में उद्यमी की इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं भी बनाई जाती हैं और यदि उद्यमी अपनी कोई परियोजना प्रस्तुत करता है तो उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्रों की सहायता के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक परामर्शदाता भी नियुक्त किये गये हैं जो विशेषज्ञ होते हैं। आवश्यकता अनुसार परामर्श के लिए जनपद के जिला उद्योग केन्द्रों में यह परामर्शदाता भी उपलब्ध रहते हैं।

मेरठ जनपद के प्रत्येक जनपद के जिला उद्योग केन्द्रों में इस प्रकार के परामर्श कक्षों की स्थापना की जा चुकी है। इन कक्षों में उपलब्ध पंजीकों के अनुसार काफी मात्रा में उद्यमियों को परामर्श दिया जा रहा है। लेकिन अधिकांश केन्द्रों में साहित्य का अभाव है। जिला उद्योग केन्द्र मेरठ का परामर्श कक्ष उपयुक्त प्रतीत होता है।

पंजीकरण

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा लघु इकाइयों का पंजीकरण किया जाता है। समस्त प्रकार के पंजीकरण निःशुल्क किये जाते हैं यद्यपि लघु इकाइयों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है फिर भी जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण आवश्यक हो जाता है। शासन द्वारा पंजीकरण में एकरूपता बनाये रखने के लिए एक विस्तृत नियमावली जारी की गई है एवं प्रारूप निर्धारित कर दिये गये हैं।

उद्योग स्थापना की प्रारम्भिक अवस्था में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों का प्रस्तावित पंजीकरण किया जाता है। उद्यमी द्वारा आवेदन पत्र देने के अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर यह पंजीकरण कर दिया जाता है। इस पंजीकरण की वैधता अवधि दो वर्ष होती है लेकिन यदि किसी कारणवश इस दो वर्ष की अवधि में इकाई की स्थापना नहीं हो पाती है तो जिला उद्योग केन्द्र द्वारा एक वर्ष की दो बार अवधि में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

सारणी 3

जनपद की इकाइयों का उद्योगवार वितरण

आधार	इकाइयाँ	प्रतिशत
कृषि आधारित	2018	20.4
वन आधारित	960	10.0
पशुधन आधारित	812	10.4
रसायन आधारित	1100	15.4
वस्त्र आधारित	715	9.2
इन्जीनियरिंग आधारित	1832	19.3
अन्य	1176	15.3
योग	8613	100

लघु उद्योगों के पंजीकरण के लिए विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों को प्रतिवर्ष निदेशालय स्तर से लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाते हैं। किसी न किसी प्रकार से जिला उद्योग केन्द्र इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ तक उद्योगवार इकाइयों के विवरण का प्रश्न है, स्पष्ट है कि कृषि आधारित सर्वाधिक इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। इसके बाद इन्जीनियरिंग आधारित इकाइयों में रुचि दिखाई गयी है। वन एवं पशु आधारित इकाइयों में कम स्थापना का एक कारण कच्चे माल का अभाव है।

भूमि/भवन व्यवस्था

किसी भी प्रकार की इकाई स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम भूमि या भवन की आवश्यकता होती है। इकाई की इस आवश्यकता की पूर्ति जिला उद्योग केन्द्र जनपद में स्थापित औद्योगिक आस्थानों में भूमि व भवनों का आवण्टन करके करते हैं औद्योगिक आस्थान योजना एक ऐसी योजना है जिसमें शासन द्वारा सामान्यतः नगरपालिका/महापालिका से दूर काफी मात्रा में भूमि का विकास केवल औद्योगिक इकाइयों के लिए करता है। बिजली, पानी, सड़क, बैंक, टेलीफोन, डाकघर, पुलिस सुरक्षा आदि की सुविधाओं का विकास शासन द्वारा किया जाता है। भूमि का विकास करके या भवनों का निर्माण करके उद्यमियों को किराया क्रय पद्धति पर या किस्तों पर सस्ती दर भूमि उपलब्ध कराई जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक तो उद्यमियों को भूमि व भवन पर एक मुश्त भारी धनराशि विनियोग नहीं करनी होती है तथा दूसरे अनेक महत्वपूर्ण सुविधाएं स्वतः मिल जाती हैं जिन्हें वह अलग प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

जिन स्थानों में भारी औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं होती हैं और बड़े उद्योगों की स्थापना की सम्भावना होती है उन स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाते हैं। यह कार्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई उद्यमी स्वयं भूमि का चुनाव करता है और शासन की सहायता चाहता है तब शासन स्तर से औद्योगिक प्रयोग के लिए वह भूमि अर्जित की जा सकती है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 107 औद्योगिक संस्थान कार्यरत हैं जिनमें 3454 भूखण्ड एवं 1121 शेड्स उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 86 औद्योगिक क्षेत्र राज्य के 38 जनपदों में स्थापित किये जा चुके हैं जिनमें से 24 जनपद पिछड़े जनपदों की श्रेणी में आते हैं। अब राज्य के समस्त जनपदों में 380 विकास खण्डों का चुनाव मिनी औद्योगिक संस्थान स्थापित करने के लिये किया जा चुका है।

सारणी 4

मेरठ मण्डल में उपलब्ध औद्योगिक संस्थान सुविधा

जनपद	औद्योगिक-आस्थानों की संख्या	शेड्स	भूखण्ड
मेरठ	3	91	145
बागपत	2	24	75
गाजियाबाद	1	10	17
बुलन्दशहर	2	12	19
गौतमबुद्ध नगर	3	17	29

बीमार इकाइयों का पुनर्जीवीकरण

जो इकाइयाँ लाभदायक तरीके से संचालित नहीं की जा सकती हैं उन्हें बीमार इकाई कहा जाता है। इकाइयों के बीमार होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कच्चे माल की कमी या प्रतिबन्ध लग जाना, वित्त की कमी, तकनीकी ज्ञान की समस्या या विपणन की समस्या। बीमार इकाई को पुनः संचालित करने की योजना है और इस योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम बीमार इकाई की औद्योगिक परामर्शदाताओं द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है जो सामान्यतः वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था के निर्देशन में तैयार की जाती है। इसके पश्चात् जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिला स्तर पर बैठक का आयोजन करके इन मामलों पर विचार किया जाता है तथा सहायताओं की सस्तुति की जाती है। मेरठ जनपद में बीमार इकाइयों के पुनर्जीवीकरण की स्थिति निम्न है:-

सारणी 5

जनपद	सहायता प्राप्त इकाइयाँ
मेरठ	25
मुजफ्फरनगर	37
गाजियाबाद	21
बुलन्दशहर	18
गौतमबुद्ध नगर	22

बस सेवा

मेरठ जनपद में वर्ष 2015-16 की स्थिति के अनुसार लो0नि0वि0 द्वारा संघृत पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 14,278 कि0मी0 है जो कि जनसंख्या के आधारपर 86 कि0मी0 प्रति लाख तथा क्षेत्रफल के आधार पर 74 कि0मी0 प्रति

100 वर्ग कि०मी० होती है। यह वर्तमान में बढ़कर 11234 कि०मी० हो चुकी है। जनपद के सभी प्रशासनिक केन्द्र तहसील तथा विकास खण्ड पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। इन सभी केन्द्रों पर पहुँचने के लिए राजकीय परिवहन निगम की बसें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त मेरठ जनपद के विभिन्न बस स्टैण्ड्स से सीधी बस सेवा आगरा, दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, बदायूँ, चंडीगढ़, अजमेर, करनाल, पानीपत आदि स्थानों के लिए भी उपलब्ध हैं।

रेल सेवा

मेरठ जनपद रेल सेवा द्वारा देश की राजधानी दिल्ली तथा प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधा जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त देश के प्रमुख नगरों से भी यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। सम्पूर्ण जनपद में केवल बड़ी लाइने ही हैं। वर्तमान में दिल्ली से मेरठ के लिए दोहरी रेल लाइन चालू कर दी गई है तथा शताब्दी, जन शताब्दी, उज्जैनी, ओरवा जैसी तीव्रगति की ट्रेने भी प्रारम्भ की गई हैं जिनसे इन मार्गों के यात्रियों को काफी राहत मिली है। जनपद गाजियाबाद में दोहरी रेल लाइन है तथा वे पूर्णरूप से विद्युतीकृत भी है। जिसका लाभ इस जनपद के नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप में तथा मेरठ जनपद के अन्य जनपदों के नागरिकों को परोक्ष रूप में मिल रहा है। हाल ही में गाजियाबाद से मेरठ तक की रेलवे लाइन का भी दोहरीकरण किया गया है जिसके कारण इस जनपद के निवासियों को दिल्ली आने-जाने में समय की बचत होने लगी है।

विद्युत सुविधाएँ

विद्युत वितरण प्रणाली न केवल उद्योग की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आवश्यक है अपितु खेती के लिए भी नलकूपों को बिजली प्रदान करके खेती का एक अभिन्न अंग बन गया है। मेरठ जनपद के लगभग सभी आबाद ग्राम तथा सभी नगरीय क्षेत्र विद्युतीकृत हैं। वर्ष 2018 तक जनपद के लगभग सभी जिलों को विद्युतीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जा चुका है।

निष्कर्ष—

संक्षेप में कहा जा सकता है कि मेरठ जनपद, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपदों में से एक है। यहाँ विभिन्न धर्मों के व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रेमपूर्वक रहते हैं। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल है। मिट्टी उपजाऊ है तथा सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं जिसके कारण यह जनपद कृषि की दृष्टि से काफी सबल है। यहाँ का औद्योगिक विकास सामान्य है, कृषि विपणन के क्षेत्र में इस मण्डल की विनियमित मण्डियाँ काफी विकसित हैं तथा यहाँ सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएँ पूर्णतः संतोषजनक हैं। बैंकिंग सेवाएँ एवं परिवहन सेवाएँ पूर्णतः संतोषजनक हैं। जनपद में प्रशासनिक सेवाओं में सुधार की काफी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जनपद में पिछले कुछ वर्षों से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति आयी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

1. लघु उद्योग विकास विभाग भारत सरकार, ए हैण्डबुक ऑफ सरल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट, 1988
2. जी. रामचन्द्रन, ग्रोथ ऑफ स्मॉल सेक्टर इकोनोमिक टाइम, अप्रैल 22, 1986
3. सी. वी. कुप्युस्वामी, स्मॉल यूनिट्स माइल्स टू गो फाइनैन्शियल एक्सप्रेस
4. फ्लोटेन्स, पी० एम०, इकोनोमिक्स एण्ड सोशियोलॉजी ऑफ इण्डस्ट्री, 2006
5. कनका, एस०एस०, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट इन कुमायूँ, 1988
6. जी. वी. वेज, वार्किंग कैपिटल नीड्स एण्ड बैंक फाइनैन्स, दि बैंकर, अगस्त 1979
7. वी. चन्द्रशेखर, एडवान्सेज टु एस.एस.आई. ग्रो एट ए फास्टर पेस, फाइनैन्शियल एक्सप्रेस, जनवरी 9, 1982
8. ए.डी. नाईक, इण्डस्ट्रियल स्लोडाउन एण्ड क्रीपिंग रिसेशन, इकोनोमिक टाइम्स, जनवरी 30, 1992
9. डॉ. के. कुलश्रेष्ठ, क्रेडिट मैनेजमेन्ट इन स्मॉल बिजिनेस, इकोनोमिक टाइम्स, जनवरी 1, 1987